

11/8/2025

पत्रावली पैश हुई। वादी वकील अनुपाश्रित।  
वादी व वादी वकील को उपाश्रित हेतु  
बार-बार रूक रूक कर आवाज लगावाई गयी  
किन्तु वादी व वादी वकील उपाश्रित नहीं  
हुए।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अनर्था  
धारा 53, 188 RT Act अदम हाजरी व अदम  
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
कैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व  
नम्बर से कम हो।

12/8/25

सहायक कलक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलास